

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण 1.825किमी. (0.495है0)।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



वन वन अधिकारी,
शोधाधीन वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)

बहिर्हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी

हल्द्वारी वन विभाग अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी

तहसीलदार भिकियासेन
बिना अल्मोड़ा

उपजिलाधिकारी,
भिकियासेन (उत्तराखण्ड)

प्रतिहस्ताक्षरिते

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा